COURT FEE 20 Rs भारत INDIA TWENTY RUPEES CANCELLED

29/14

(123)

R-989-II/14

समक्ष : न्यायालय श्रीमान् ~~कमिश्नर~~ राजस्व मंडल महोदय जबलपुर

राजस्व निगरानी प्र.क्र. /2014

श्री मनोज मिश्रा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
03 MAR 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदक : लक्ष्मण प्रसाद पटैल उम्र करीब 42 वर्ष
पिता श्री रामजी पटैल,
निवासी: ग्राम बम्हनौदा थाना पनागर,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : मध्यप्रदेश शासन
द्वारा - जिलाध्यक्ष महोदयजबलपुर
जिला - जबलपुर (म.प्र.)

350 10-3-14

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

~~नियत दिनांक~~ ........

आवेदक ,न्यायालय श्रीमानतहसीलदार महोदय पनागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 1/अ-68/2013-2014 म.प्र.शासन विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद मे पारित आदेश दिनांक 10.2.2014 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों परयह राजस्व निगरानी प्रस्तुतकर रहे हैं:-

अधीक्षक

## प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, आवेदक को माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 6.1.2014 का इस आशय का सूचनापत्र प्राप्त हुआकि आवेदक ने मौजा बम्हनौदा की आबादी मद की भूमिखसरा नं. 158 मे अनाधिकृत रूपसे मुरम डालकर कब्जा किया जारहाहै तब आवेदक ने विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत करते हुए अभिवचन किये कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसके

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 989–दो/14 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25–5–16 | आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नही । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अभिभाषक दिनांक 1–3–14 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>सदस्य | |